न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2016 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 02.05.2016
G.C.M.S. NO. :- 2016/00093

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री मांगू पिता शंकर चमार निवासी माताखेड़ा मृत्तक के बजाएः–
- 1/1–श्री कैलाशचन्द्र पिता मांगू मेघवाल निवासी माताखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 1/2–श्रीमति नानीबाई पत्नि मांगू मेघवाल निवासी माताखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

2–श्री बगदीया पिता शंकर चमार निवासी माताखेड़ा मृत्तक के बजाएः–
- 2/1–माया पुत्री बगदीया मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षक अर्जुन पिता हमेरा मेघवाल निवासी माताखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2/2–दुर्गा पुत्री बगदीया मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षक अर्जुन पिता हमेरा मेघवाल निवासी माताखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2/3–परसराम पिता बगदीया मेघवाल नाबालिग जरिये संरक्षक अर्जुन पिता हमेरा मेघवाल निवासी माताखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा मि. न. 581/70 आवंटन दिनांक 13.01.1971

प्र. सं. 09/2016 (रा.प्रा.पत्र)
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला बनाम श्री मांगू पिता शंकर चमार मृत्तक के बजाएः-श्री कैलाशचन्द्र पिता मांगू मेघवाल निवासी माताखेड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

उपस्थितिः-1- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम माताखेड़ा की आराजी नम्बर 136 रकबा 10 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से श्री मांगू एवं शंकर पिता बगदीया चमार निवासी माताखेड़ा के पिता श्री शंकर पिता धन्ना चमार निवासी माताखेड़ा को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये मिसल नम्बर 581/70 से दिनांक 13.01.1971 को आवंटित की जो शंकर पिता धन्ना चमार के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षीगण ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब करने पर जिला अभिलेखागार, चित्तौड़गढ़ से उक्त पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त हुई। अतः बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षीगण को आवंटित भूमि वक्त सेटलमेंट सम्वत् 2010 में ग्रम माताखेड़ा की आराजी नम्बर 136 रकबा 10 बिस्वा भूमि दर्ज थी फिर भी नियम विरूद्ध विपक्षीगण को आवंटन हुआ। विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की है तथा

आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षीगण का कब्जा एवं काश्त नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं होकर कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में ली जा रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा मृत्तक विपक्षी श्री मांगू एवं बगदीया के पिता स्व. श्री शंकर पिता धन्ना चमार को ग्राम माताखेड़ा की आराजी संख्या 136 रकबा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया जो कि नामान्तरण संख्या 66 दिनांक 06.06.71 से शंकर पिता धन्ना चमार के नाम गैर खातेदारी दर्ज किया। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2027 से 2062 एवं पटवार हल्का पीराना के मौजा माताखेड़ा के मौका पर्चा दिनांक 18.11.2014 से होती है।

पटवार हल्का पीराना ने मौजा माताखेड़ा के अपने मौका पर्चा दिनांक 18.11.2014 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा-काश्त नहीं होकर मौके पर पड़त होना तथा मौके पर पड़त होकर मुस्लिम कब्रिस्तान के रूप में उपयोग आना बताया है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सेटलमेंट सम्वत् 2010 का अवलोकन किया जिसमें आराजी नम्बर 136 रकबा 10 बिस्वा पडत होकर कब्रिस्तान के रूप में दर्ज रेकार्ड होना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी एवं विपक्षीगण का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा उक्त भूमि मौके पर पड़त होकर कब्रिस्तान के रूप में उपयोग आ रही है तथा विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण को आराजी नम्बर 136 रकबा 10 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)